FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला मजिस्ट्रेट, पाली

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थी

सिंडीकेट बैंक, शाखा पाली

1. श्री विजय प्रकाश पुत्र मोहन लाल भाटी
2. श्री अनिल भाटी, पत्ता– 43, धोला चौतरा, पाली 306401

किस्म मुकदमा :: विविध 77/2019
आर.सी.एम.एस. न.– 2019/00365

धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security interest Act 2002

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.2019	प्रार्थी बैंक की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security interest Act, 2002 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध पेश किया हैं, जो दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 13(2) के अनुसार जहॉ कोई ऋणी, जो एक प्रतिभूमि करार के अन्तर्गत प्रतिभूति लेनदार के दायित्व के अन्तर्गत प्रतिभूत ऋण या उसकी किसी किश्त के पुनर्भुगतान में किसी व्यक्तिक्रम को करता है, और उस ऋण के संबंध में उसका खाता प्रतिभूत लेनदार द्वारा अक्रियान्वित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाये, तब प्रतिभूत लेनदार को सूचना की तिथी के साठ दिवसों के भीतर देनदार के पूर्व उसके दायित्वों में समाप्त करने के लिए लिखित में सूचना द्वारा ऋणी को सूचित करना हो सकेगा, जिसमें असफल होने पर प्रतिभूत लेनदार उप धारा 4 के अन्तर्गत सभी या कुछ अधिकारों को प्रयोग करने का हकदार होगा। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी बैंक की ओर से व्यक्ति जो ऋणी/जमानतदार के रूप में पक्षकार नियोजित किए है, उनको जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 13 (2) का अवलोकन किया, जिसमें रेफरेन्स नम्बर 50007 दिनांक 04.05.2019 को जारी सुदा पत्रावली में संलग्न है, जिस पर दोनों के नोटिस पर विजय प्रकाश के हस्ताक्षर है। अनिल भाटी का तामील सुदा नोटिस संलग्न नहीं है। विजय प्रकाश का नोटिस किन मौतबिरानों के समक्ष अथवा किस तामील कुनिन्दा द्वारा तामील कराया गया, यह भी उल्लेख नहीं किया गया है तथा किस तारिख को तामील कराया, इसका भी उल्लेख नहीं है। रजिस्टर्ड ए.डी. के जरिए 43, धोला चौतरा, पाली के पत्ते पर विजय प्रकाश को प्रेषित नोटिस पर Return to Sender अंकित करते हुए पोस्टमैन द्वारा प्राप्तकर्ता बिना पते से बाहर है, प्रेषक को वापस भेजा जाने का अंकन है। इसी कद्र का अंकन अनिल भाटी को प्रेषित रजिस्टर्ड ए.डी. पर है। इस प्रकार तामील कार्यवाही विधि सम्मत नहीं की गई है। सम्पति का कब्जा एवं उसकी निलामी हेतु नोटिस धारा 13(2) का नोटिस दिया जाना तथा उनकी विधि सम्मत तामीली कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, जिसका इस प्रकरण में इसका अभाव होने से यह प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । जिला मजिस्ट्रेट, पाली	